कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया।

Email Id- qualitycontrolgaya@gmail.com

भाड़े पर वाहन रखने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–2027

पत्रांक–......266....... /गया,   दिनांक– ......08.04.2026...... /

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया के अधीन योजनाओ के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर (01) एक अदद वाहन बोलेरो (Non-AC)(चालक सहित, ईधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिको/फर्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्यन्वित अवधि	अदद	वाहन के प्रकार	अभियुक्ति
01	एकरारनामा की तिथी से 31.03.2027 तक	01 अदद	बोलेरो (Non-AC)	सहायक अभियंता के उपयोग हेतु

1 कोटेशनदाता का पदनाम एवं पताः–कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया।

2 कोटेशन आमंत्रण की तिथिः– दिनांक–08.04.2026।

3 कोटेशन जमा करने की अवधिः–दिनांक 08.04.2026 से दिनांक 16.04.2026 के 3 बजे अपराह्न तक।

4 कोटेशन खोलने की तिथि समय :– दिनांक 16.04.2026 को 4 बजे अपराह्न में।

5 कोटेशन खोलने की स्थानः– गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, गया मे।

6 कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तेः– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

08/04/26

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

Chinmay 08.04.2026

8/4/26

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्ते निम्नवत् है:–

1. वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रू0 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 पर अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यसायिक निबंधन अनिवार्य है। वाहन का दैनिक रख रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा।
3. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक ही होगी।
4. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा, वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, रोड़ टैक्स इनश्योरेंश एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
5. मालिक/फर्म का जी0 एस0 टी0, पैन कार्ड एवं आधार न0 होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्धटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारन वाहन मालिक की जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
9. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) मासिक न्यूतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही होने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
10. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
11. वाहन का किराया जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक 381 दिनांक 04.04.2022 द्वारा निर्धारित अधिकतम उद्धत दर बोलेरो रूपये 21500.00 (इक्कीस हजार पॉच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह में से न्यून्तम दर स्वीकार होगा तथा संबंधित मद में विभाग से आवंटन उपलबध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
12. वाहन का मॉडल 2017 से पहले का नही होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
13. वाहन का उपयोंग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकता निजी अथवा अन्य व्यावसयिक कार्यो में नही किया जायेगा।
14. वाहन का उपयोंग हेतु 24 धंटे संबंधित पदाधिकारीयों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. ईच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 14 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना लेटर पैड पर एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति काटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
16. एक से अधिक समान न्यूनतम दर से कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बिच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।
17. लेटरपैड एवं वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
18. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

पत्रांक–....................../गया, दिनांक– ..../

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

पत्रांक– 256 / गया, दिनांक– 08.04.2026/

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर डालने हेतु समर्पित किया जाता है।

08/04/26

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, गया।

Chunm
08.04.2026